महत्वपूर्ण एवं खास

छः वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा में दिनांक 07.12.19 को 06 साल की बालिका के साथ उसके पड़ोसी बालक द्वारा दिनांक 06.12.19 के सुबह बच्ची के पालकों की गैर मौजूदगी में अपचारी बालक घर घुसकर बालिका के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट पीड़िता की मां द्वारा कराया गया है। लैलूंगा पुलिस द्वारा अपचारी बालक (15 साल) को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। जहां से अपचारी बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया है।

फेसबुक की फोटो एडिट कर चरित्र हनन करने का प्रयास, आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना तमनार में दिनांक 06.12.19 को 26 वर्षीय युवती द्वारा सत्यनारायण सोनी पिता कार्तिक राम सोनी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मचलाडीह तहसील सारंगढ द्वारा इसकी फोटो फेसबुक से डाउनलोड कर अपने फोटो के साथ जोड़कर पर्चे बनाया और उन पर्चों को इसके स्टाफ क्वाटर एवं गांव घर के बाहर फेंककर इसे बदनाम किया जा रहा था। युवती की शिकायत थाना तमनार में देने के बाद आरोपी युवक केविरूद्ध अप.क्र. 261/19 धारा 509 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

बालिका के गले में फंसा सिक्का, डायल 112 ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुसौर राइनो को दिनांक 07.12.2019 के सुबह 9:00 बजे मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट प्राप्त हुआ जिस पर पुसौर राइनो ईआरव्ही वाहन में आरक्षक अदिकांत प्रधान नंदेली प्राथमिक स्कूल पहुंचा। स्कूल की छात्रा राजनंदनी सारथी पिता रामू सारथी उम्र 11 वर्ष 5 रूपए का सिक्का गले में फंसा ली थी जिसे राइनो में कार्यरत आरक्षक अदिकांत प्रधान थाना पुसौर द्वारा उपचार के लिए सीएचसी पुसौर ले जाकर भर्ती कराया गया है।

21 हजार रूपये की ऑन लाईन ठगी, आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली में दिनांक 06.12.19 को इतवारी बाजार रायगढ़ में रहने वाले सौम्या जिन्दल पिता नटवर लाल जिन्दल द्वारा उनके साथ मोबाईल के माध्यम से 21,000 रूपये की ऑन लाईन ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता जेएसपीएल में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। इसकी दीदी जो ऑनलाईन ट्रेडिंग व्यवसाय करती है, उन्हें ग्राहक से फोन पे (डिजिटल पेमेंट और मनी ट्रांसफर का लेन देन करने का मोबाइल एप्प) के माध्यम से पैसा प्राप्त करना था। उसकी दीदी फोन पे उपयोग नही कर रही थी, तो सौम्या जिंदल की दीदी ने इसे फोन पे से रूपये प्राप्त करने के बोली। तब सौम्या ने अपने मोबाईल से मोबाईल नम्बर 860706××××× से बातचीत किया। कॉलर ने वाट्सएप मैसेज से पांच रू का क्रेडिट वाउचर भेजा जिसे सौम्या जिंदल द्वारा स्कैन करने से इसके एसबीआई खाते से 3000/-, 15000/- एवं 3000 कर कुल 21000/- रूपये खाते से कट गया। सौम्या जिंदल के आवेदन पर मोबाईल धारक के विरूद्ध अप.क्र. 1055/19 धारा 420 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायालय के रिक्त पदों हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रायगढ़ के लिए सहायक प्रोग्रामर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफ र, हिंदी स्टेनोग्राफर, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों हेतु आयोजित की गई भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला न्यायालय की वेबसाइट districts. ecourts. gov .in / raigarh का अवलोकन कर सकते हैं।

लोकवाणी की पांचवी कड़ी का प्रसारण आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की पांचवी कड़ी का प्रसारण 8 दिसम्बर रविवार को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम.चैनलों और राज्य के क्षेत्रीय न्यूज चैनल से सुबह 10.30 से 10.55 बजे तक होगा।

समिति प्रबंधक नियमानुसार करें कार्य अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही-कलेक्टर

» धान खरीदी के संबंध में प्रबंधकों की ली बैठक » कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने दिये स्पष्ट निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने धान खरीदी कार्य की समीक्षा करने सहकारी सहमति प्रबंधकों की बैठक कलेक्टोरेट के सृजन सभा कक्ष में ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। कलेक्टर यशवंत कुमार ने धान खरीदी कार्य को शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अंतर्गत क रने के स्पष्ट निर्देश दिये। उन्होंने समिति प्रबंधकों से कहा कि पटवारियों द्वारा दिये रकबा सत्यापन के रिपोर्ट अनुसार समिति को अपना डाटा अद्यतन कर खरीदी करनी है। जिन जिन धान उपार्जन केन्द्रों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिये गये है वे यह कार्य शीघ्र कर लेवें। बिना नंबर के ट्रक व ट्रेक्टर आदि में धान का परिवहन नहीं किया जाएगा। बारदाने का हिसाब अद्यतन पीडीएस के बारदाने में धान नहीं लेना है। साथ ही बारदानों को उपार्जन केन्द्रों में व्यस्थित रखा जाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि धान खरीदी का कार्य पूरी गंभीरता व नियमानुसार किया जाना है। सभी को उनके कार्य व जिम्मेदारिया बता दी गई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम विरूद्ध कार्य करने पर उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि किसी भी प्रबंधक को यदि कोई समस्या आती है तो मुझे बताये या पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र के एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार को भी सूचित कर सहायता ले सकते है। प्रशासन धान खरीदी के कार्य को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और मिलर्स व ट्रांसपोर्टस के द्वारा भी समय पर धान का उठाव कर पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसलिए आप सभी कार्य ईमानदारी से कीजिए, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अच्छा काम कर रहे प्रबंधकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समिति प्रबंधकों को अपने पर्यवेक्षण में धान खरीदी का काम पूरी सतर्कता से करना है।

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि पुलिस अमला भी सघनता से अवैध धान परिवहन और भंडारण के निरीक्षण में लगा हुआ है और लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। समितियों में धान उपार्जन तय नीतियों के हिसाब से ही होना चाहिए अन्यथा कानूनी धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, जिला खाद्य अधिकारी जी पी राठिया, उप पंजीयक सहकारिता श्रीमती शिल्पा अग्रवाल सहित खाद्य विभाग के अधिकारी व जिले के सहकारी समितियों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

लूटपाट मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड में

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.11.19 को ठेकेदारी करने वाले सुनील साहू पिता शत्रुघन साहू उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम नावापारा (अ) थाना पुसौर से ग्राम बोडाझरिया एवं लोहाखान के बीच मोटर सायकल पर सवार चार युवकों द्वारा लाल मिर्च पाउडर आंखों में डाल कर पर्स व मोबाइल सैमसंग जे 7 लूट कर भाग गये थे। घटना के संबंध में पीड़ित सुनील साहू के रिपोर्ट पर थाना पुसौर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 220/19 धारा 394 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।

विवेचना के दरम्यान पुसौर पुलिस द्वारा दिनांक 14.11.2019 प्रकरण के आरोपी 1- मार्शल यादव पिता धन सिंह यादव उम्र 20 वर्ष, 2- नारायण दास महंत पिता बालू दास महंत 19 वर्ष एवं उसके साथी अपचारी बालक से पूछताछ कर उनके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल तथा सुनील साहू की मोबाइल सैमसंग जे 7 एवं उसका पर्स बरामद किया गया था। आरोपियों का एक साथी विशाल यादव उर्फ बंटी पिता रामरतन यादव उम्र 21 साल निवासी राजीवगांधी नगर भजनडीपा रायगढ़ फरार था, जिसे आज 07.12.19 को मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जिला पंचायत के विभिन्न पदों में होने वाली भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन अंतर्गत जिला रायगढ़ में क्षेत्रीय समन्वयक के रिक्त 12 पद, लेखा सह एम.आई.एस. सहायक के रिक्त 6 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त 1 पद एवं भृत्य के रिक्त 1 पद पर भर्ती हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशन पश्चात् दावा आपत्ति का निराकरण कर वरीयता क्रम के आधार पर क्षेत्रीय समन्वयक एवं 1:10 के आधार पर लेखा सह एम.आई.एस. सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु समूह चर्चा, कम्प्यूटर एवं कौशल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दिनांक 16 दिसम्बर 2019 को भृत्य पद के वरीयता क्र. 01 से 06 तक दस्तावेज सत्यापन तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर वरीयता क्र. 01 से 10 तक के दस्तावेज सत्यापन व कौशल परीक्षा का आयोजन जिला पंचायत रायगढ़ में प्रातः 10 बजे से किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 17 दिसम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे से जिला पंचायत रायगढ़ में लेखा पाल सह एम.आई.एस. सहायक के वरीयता क्र. 01 से 60 तक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा आयोजित की गई है। 19 दिसम्बर 2019 को क्षेत्रीय समन्वयक पद के लिये वरीयता क्र. 01 से 24 तक के लिये एवं 20 दिसम्बर 2019 को क्षेत्रीय समन्वयक के वरीयता क्र. 25 से 47 तक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार प्रातः 10 बजे से जिला पंचायत रायगढ़ में लिये जायेंगे। कौशल परीक्षा हेतु वरीयता क्रम से 1:10 के आधार पर आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची जिला पंचायत के सूचना पटल एवं वेबसाईट जिला https://raigarh.gov.in व www.bihan.gov.in पर अवलोकन किये जा सकते है।

विकासखण्ड स्तर में पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के सुचारू संचालन के लिए सारंगढ़, खरसिया विकासखण्ड, किरोड़ीमल नगर, सरिया, बरमकेला विकासखण्ड, घरघोड़ा विकासखण्ड में मतदान दलों, पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी एक को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि संबंधित मतदान केन्द्रों में पीठासीन अधिकारियों का महत्वपूर्ण दायित्व रहता है। उनको अपने मतदान केन्द्रों की सारी व्यवस्था सुनिश्चित करानी होती है साथ ही मतदान के एक दिन पूर्व तैयारी करानी पड़ती है। मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की जवाबदेही रहती है। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान नियत समय पर प्रारंभ करना अनिवार्य होता है। मतदान केन्द्रों में निर्धारित समय पर मतदान आरंभ हो तथा निर्धारित समय पर मतदान समाप्त करना पीठासीन अधिकारी का दायित्व है।

प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान केन्द्रों में महिलाओं एवं पुरूषों के लिये अलग-अलग कतारें होनी चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देते हुए पृथक अलग लाइन बनाकर सहज रूप से मतदान केन्द्रों में प्रवेश देना होगा। ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाये पीठासीन अधिकारियों को समय-समय पर दर्ज मतों के योग का मिलान करते रहना चाहिए और प्रत्येक 2 घंटे की अवधि में डाले गये मतों की संख्यात्मक जानकारी जोनल अधिकारी और सेक्टर अधिकारियों को देनी होगी। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को मतपेटी सीलिंग और निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

सेना के रिटायर्ड जवानों ने झंडा दिवस पर कलेक्टर को लगाया फ्लैग पिन

» सैनिकों के सम्मान व उनके परिवारजनों की सहायता के लिए 7 दिसम्बर को मनाया जाता है झंडा दिवस

न्याय साक्षी/रायगढ़। आज सशस्त्र झंडा दिवस के मौके पर कलेक्टर यशवंत कुमार को सेना के रिटायर्ड कमांडर अशोक कुमार द्वारा अपने साथियों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर सशस्त्र सेना के झंडे की प्रतिरूप वाला बैच लगाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने आये हुए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के माध्यम से सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस देश के लिए सेना का योगदान अतुलनीय है। सैनिक देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहूति दे देते है उनके प्रति सम्मान प्रकट करने व उनके परिवारजनों की सहायता के लिए झंडा दिवस के रूप में आम जनता के पास एक बेहतरीन अवसर होता है।

गौरतलब है कि 7 दिसम्बर 1949 से पूरे भारत में प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। गहरे लाल नील और हल्के नीले रंग की स्टीकर को लगाकर लोगों से उनकी स्वेच्छा अनुसार राशि एकत्रित कर झंडा दिवस कोष में जमा कर दी जाती है। संग्रहित धन का उपयोग युद्ध के दौरान हुई जन हानि, भारतीय सेना में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, तथा युद्ध के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों व उनके परिवार के कल्याण, व सेवा निवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए खर्च की जाती है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480